

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269661
SG-DL-E-30012026-269661

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

[रा.रा.क्ष.दि. सं. 436

No. 27]

DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

[N. C. T. D. No. 436]

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-एफएसएल विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

फा. सं. 2(159)/एफएसएल/स्था./भर्ती नियम/एसएसए (फिंगर प्रिंट)/2024/571.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना फा. सं. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 20 अगस्त, 2008 की अधिसूचना फा. सं. 31/68/2007/गृह-III विभाग/574-585 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा फोरेसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट) फोरेसिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :— वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. बचाव :— इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट)
2.	पदों की संख्या	:	01' (2025) ‘इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह ‘ख’
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रुपये 35,400—1,12,400/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति,	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्त द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित (आईएसटीसी)।

11. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	<p>पदोन्नति : ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200—92300/-) में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित 2—4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले।</p> <p>टीप-1 : इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से नियमित आधार पर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फिंगर प्रिंट) का पद धारण करने वाले मौजूदा पदधारियों के लिए प्रशिक्षण पूर्ण करने की शर्त, उनके लिए लागू नहीं होगा।</p> <p>टीप-2 : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्र/राज्य/सरकारी/केन्द्र शासित प्रदेशों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी :—</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200—92300/-) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 6 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष;</p> <p>तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रखने वाले—</p> <p>अनिवार्य : किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एससी. स्तर पर कम से कम दो वर्षों /चार सेमेस्टरों में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान का एक विषय के रूप में अध्ययन करने सहित भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p>टीप-3 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p>टीप-4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में अल्पकालिक संविदा</p>
--	--

		अवधि (आईएसटीसी) भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण के विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृह), रा.रा.क्षे. दि.स. – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं), रा.रा.क्षे. दि.स. – सदस्य 3. संबंधित वर्टिकल के निदेशक – सदस्य 4. विशेष/अपर सचिव (सा.प्रशा.वि.) – सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार शर्मा, उप-सचिव (गृह)

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th January, 2026

F. No. 2(159)/FSL/ESTT/RR/SSA(Finger Print) 2024/571.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Govt's Notification no. F31/68/2007/Home-III Deptt./574-585 dated 20th August, 2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post **Senior Scientific Assistant (Finger Print)** in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement—

(i) These rules may be called the **Senior Scientific Assistant (Finger Print)** Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:-—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:-No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

--SCHEDEULE--

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Scientific Assistant (Finger Print)	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Non-Gazetted, Group 'B'	Level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay Matrix	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment,	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	2 years	100% by Promotion failing which by deputation including short term contract (ISTC)	Promotion: Junior Scientific Assistant (Finger Print) in Level-5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix with 06 years of regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training as	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): 1. ACS/Principal Secretary/	Consultation with UPSC is not necessary

		<p>prescribed by the competent authority.</p> <p>Note 1: For existing incumbents holding the post of Junior Scientific Assistant (Finger Print) on regular basis on the date of notification of these rules, requirement of completion of training will not be applicable.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers under the Central /State Officers under Govts./UTs/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Govt./ Autonomous Organizations :-</p> <p>(a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) With 06 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>(b) Possessing the educational qualification as under:</p> <p>Essential:-</p> <p>Master's degree in Physics or Chemistry or Forensic Science with Physics or Chemistry as</p>	<p>Secretary (Home), GNCT of Delhi-</p> <p>Chairperson</p> <p>2. ACS/Principal Secretary/ Secretary (Services), GNCT of Delhi -</p> <p>Member</p> <p>3. Director of the concerned vertical- Member</p> <p>4. Special/Addl. Secretary (GAD)-</p> <p>Member</p>	
--	--	--	---	--

		<p>one of the subject studied for at least two years / four semesters at B. Sc. Level, from a Govt. recognized University/Institute.</p> <p>Note 3: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.</p> <p>Note 4: The period of deputation including short-term contract (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications</p>		
--	--	---	--	--

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy. (Home)